कार्यालय कलेक्टर, जिला - सुकमा (छत्तीसगढ़)
(आदिवासी विकास शाखा)

Phone & Fax No. : - 07864-284666, Email :- actwd.cgsukma@gmail.com

//विज्ञप्ति//

क्रमांक/आ.वि./एकलव्य/2020-21/ 619 सुकमा, दिनांक 30..06.2020

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करनें के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुकमा/कोंटा जिला-सुकमा के रिक्त पदों के विरूद्व निम्नानुसार अंशकालीन अतिथि शिक्षकों/कर्मचारियों को निर्धारित मानदेय के आधार पर नियुक्ति किया जाना है। संस्था सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम होगी।

अतः निम्नदर्शित शर्तो के अनुसार रिक्त पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक आर्हता रखने वाले सुकमा जिले तथा बस्तर संभाग के स्थानीय अभ्यर्थियों से दिनांक 15.07.2020 तक संपूर्ण बायोडाटा के साथ आवेदन पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास शाखा सुकमा जिला-सुकमा में जमा कर सकते है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विषय	पद संख्या	मानदेय	योग्यता
1	शिक्षक-टीजीटी-हिन्दी	1	200 रू.प्रति कालखण्ड	स्नातक/बी.एड.
2	अंग्रेजी	1	200 रू.प्रति कालखण्ड	स्नातक/बी.एड.
3	गणित	2	200 रू.प्रति कालखण्ड	स्नातक/बी.एड.
4	संस्कृत	1	200 रू.प्रति कालखण्ड	स्नातक/बी.एड.
योगः-		5		

02. **शैक्षणिक आर्हताः-** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं बीएड उपाधि। स्नातक के साथ बीएड उपाधि धारक को प्रथम मान्यता दिया जायेगा। ततपश्चात् स्नातक में मेरिट क्रम के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

03. **नियुक्ति हेतु शर्तेः-** अंशकालीन अतिथि शिक्षक नियुक्ति 07 दिनों से कम एवं 200 दिनों से अधिक के लिए नहीं होगी तथा इस नियुक्तियों की सूचना एवं लिखित स्पष्ट कारणों के बिना निरस्त करने का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा। दीर्घ अवकाश, नियमित शिक्षक के आगमन एवं रिक्त पद की पूर्ति पश्चात् तत्काल नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। किन्तु ऐसे नियुक्तियां केवल 01 सत्र हेतु की जा सकेगी।

04. अन्य शिक्षकों की भांति इन अतिथि शिक्षकों को भी अन्य आबंटित शालेय कार्य यथा मूल्यांकन, शालेय गतिविधियां आदि से भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। जिसके लिए अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नही होगी।

05. अभ्यर्थी को आवेदित पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता की भांति होगी। अनुभवी को प्राथमिकता दी जावेगी।

06. **आयु सीमाः-** शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु से अभ्यर्थी की आयु कम नही होनी चाहिए तथा न्यूनतम आयु के पश्चात् आयु सीमा का कोई बंधन नही रहेगा।

07. अंशकालीन शिक्षक/अतिथि शिक्षकों की सीधी भर्ती के समय नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में कोई दावेदारी नहीं होगी।

08. **दस्तावेजों की उपलब्धताः-** आवेदन पत्र सादे कागज में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कलेक्टेड परिसर सुकमा को शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र ,जाति,निवास प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 15.07.2020 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करना होगा। समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

09. शासन के मनसा अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग को प्राथमिकता दी जावेगी।

10. सुकमा जिले एवं बस्तर संभाग के योग्य अभ्यर्थी नही मिलने पर छ.ग. राज्य के अन्य जिले के निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास सुकमा

पृ.क्रमांक/आ.वि./एकलव्य/2020-21 620 सुकमा, दिनांक 30/6/2020

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नया रायपुर को सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा को सादर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, जनसम्पर्क जिला सुकमा को सूचनार्थ। कृपया स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें ताकि जिले के पात्रताधारी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके।
4. जिला सूचना अधिकारी (NIC) जिला सुकमा को सूचनार्थ। कृपया जिले के वेबसाईड में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. प्राचार्य, एकलव्य आवासीय विद्यालय सुकमा, को सूचनार्थ। निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर दिये गये निर्देशानुसार मेरिट सूची आधार पर संविदा शिक्षक चयन कर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सुकमा को अग्रिम कार्यवाही हेतु नस्ती प्रस्तुत करेंगे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास सुकमा

D:\Ek Lavay Aavashiy Vidyalay Ki Jankari\2017 & 2018-19 Eklavay Vidhyalay\Letter.DOCX